(93) (256

(8)

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA
NEW DELHI - 110 002

Circular No. NGE/ 43/2005
No. 393 –NGE(App)/61-98
Dated :- 20.06.2005

To,

All Heads of Department in the IA&AD
(as per mailing list)

Subject: Recruitment Rules for the post of Senior Translator.

Sir/ Madam,

I am directed to forward herewith a copy each of English and Hindi Version of Indian Audit and Accounts Department (Senior Translator) Recruitment Rule, 2004. These rules have been published in Gazette of India, Part-II Section 3(i) dated 04.09.2004 vide Ministry of Finance (Department of Expenditure) Notification No. GSR-294 dated 24.08.2004 at pages 1775 to 1781.

2. In English version of the above rules in column 12 of the Schedule the word 'three' appearing at the end of 1st line is not visible in the above Gazette notification. The above word may be read as 'three'.

Yours faithfully,

Encl.: As Above.

20/6/2005

(HOSHIAR SINGH)
SR. ADMINISTRATIVE OFFICER (APP)

circular

...artmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxing any provision of these Rules.

[No. 6/2004/F.No. 21/01/2001-Ad.IC]

Smt. V. RAMAKRISHNAN, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2004

सा. का. नि. 294.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के फील्ड कार्यालयों में ज्येष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों पर यथा लागू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ अनुवादक	20* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175-9000 रु.	अचयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी, अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में, हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी, अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में में रहा हो। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/और अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में, मास्टर डिग्री साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा में माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो। और	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

8

(ii) हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठयक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अन्तर्गत जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भी सम्मिलित हैं, में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 :— अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 :— अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रोन्नति** 5000-150-8000 रु. के वेतनमान में ऐसी कनिष्ठ अनुवादक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। या **प्रतिनियुक्ति** 1. केन्द्रीय सरकार के अधीन के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में 5000-150-8000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या

12

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500-125-7000 रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास स्तंभ—8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार या संबद्ध कार्यालय से समतुल्य पंक्ति का अधिकारी —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी जो प्रशासन का भार साधक हो —सदस्य 3. अन्य ज्येष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार या भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अन्य कार्यालय से समतुल्य पंक्ति का अधिकारी —सदस्य	भर्ती नियमों के किन्हीं उपबंधों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. प्रा. 12018/5/95 ई-जी.]

महेन्द्र कुमार, उपसचिव

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 24th August, 2004

G.S.R. 294.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Senior Translator in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Senior Translator) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of Pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit educational qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Senior Translator	30* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Non-Selection	Not exceeding 30 years. Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (And not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J & K state, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	**Essential** (i) Master's Degree of a recognized university in Hindi/ English, with English/Hindi as a compulsory/elective subject or as medium of examination at degree level.	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees.

Or

Master's Degree of a recognized univesity in any subject other than Hindi/English, with Hindi/ English medium, and English/Hindi as a compulsory/ elective subject or as medium of examination at degree level.

Or

Master's Degree of a recognized university in any subject other than Hindi/English, with Hindi and English as compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/elective subject at degree level.

And

(ii) Recognised diploma/certificate course in translation from Hindi to English and *vice-versa* or two years' experience of translation work from Hindi to English and *vice-versa* in Central/State Government Offices, including Government of India undertakings.

Note 1 :—The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent authority in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 :—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ competent authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Staff Selection Commission/ competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.